



फर्द अहकाम

2021/154

मांगीलगल बनाम अर्पुन

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 83/21

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>मीमा जात करते के पछ्यात उक्त वाड उक्त भूमि में यदि वाडी की भूमि से से प्रतिवादीगण की भूमि निम्नलिखी है तो उसे वाडी छोड़ेगा तथा यदि प्रतिवादी की भूमि में से वाडी की भूमि निम्नलिखी तो उसे प्रतिवादीगण छोड़ेगी साथ ही र.व.तं. 56 जे.सु.राफ्त में यदि किसी का अर्थात वाडी व प्रतिवादी का कब्जा होगा तो उसे दोतो पक्ष छोड़ने के लिए पाबन्ध रहेंगे तथा जब तक उक्त वाड उक्त भूमि का मीमा जात नहीं होला है तब तक उक्त पक्ष मौके की प्रथा सिद्धि करताये रहेंगे। मीमा जात के पछ्यात वाडी व प्रतिवादीगण अपनी अपनी मीमा के पाबन्ध रहेंगे। डिक्लीयर गयी हो। निर्वाच व डिक्ली की पालना हेतु तदमील डार तथा जो तदरीट गयी हो। पत्रावली फौजदारी प्रमाण होकर कउ तदमील दखिलदफतर हो।</p>	
		<p>आज दिनांक 13/12/21 को यह निर्वाच प्रशासन जंक्टो के महा अफिसियल केमरा सुनवाई में मजमे आस में सुनाया गया।</p>	

*(Signature)*

सहायक कलक्टर बस्सी जिला अर्पुन

प्रतिनिधि  
लक्टर  
अर्पुन

गया  
लक्टर  
रा



× रेट्रो लधा भव त्वा उत्त वड उत्त भूमि वा भीमा  
जात नही होतो हे तब वय उत्तप पफा मोफकीरया  
निघत कतापे रहेंगे। सीमा जात वे पंचात वही व  
प निवली अपती अपती भीमा में पाबद रहेंगे।

06  
सहयक कलक्टर वसुंधी विद्यालय